

**न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)**

**फाइलिंग नंबर 235103001132009
दांडिक प्रकरण क.-63 / 09
संस्थापित दिनांक-14.09.09**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-महेश पुत्र मन्नू लाल धोबी उम्र 30 साल निवासी नानौन चंदेरी जिला अशोकनगर।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।

**-: निर्णय :-
(आज दिनांक 11.01.2017 को घोषित)**

- 01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 286, 338 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 286 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी डी आर मेहोरिया ने दिनांक 24.02.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि वह उक्त दिनांक को थाना चंदेरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। रोज.ना.सा. 422 दिनांक 09.04.09 की जांच, कथन साक्षीगण, मेडिकल जांच रिपोर्ट से उसने यह पाया कि आरोपी महेश पुत्र मन्नू धोबी निवासी नानौन द्वारा बॉकमैन में कोई विस्फोटक पदार्थ रखकर संतोष को देने के लिए छोटी लडकी भूरी बाई के द्वारा भिजवाया था। संतोष डीमर द्वारा उसमें सैल डालकर बजाना चाहा तो उसमें विस्फोट हो गया जिससे संतोष के पूरे शरीर में चोटें आई तथा घायल हो गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 200/09 के अंतर्गत भादवि की धारा 286 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 286, 338 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी

का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 01.04.09 को शाम 7 बजे फरियादी के घर ग्राम नानौन में वाकमैन में कोई विस्फोटक डायनामाइट रखकर उपेक्षा एवं उतावलेपन से फरियादी को देकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में अ.सा. 01 संतोष, अ.सा. 02 रतनबाई एवं अ.सा. 03 भाना उर्फ भूरी की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 संतोष ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसे एक वॉकमैन खेरे में मिला था जिसमें उसने सेल डालकर जैसे ही चालू किया वैसे ही वह फट गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उक्त वॉकमैन को आरोपी महेश द्वारा दिया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी महेश ने उसे वॉकमैन बजाने के लिए दिया था। इसी प्रकार अ.सा. 02 रतनबाई ने बताया है कि वॉकमैन संतोष को मिला था उसे किसी ने नहीं दिया। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी महेश ने वॉकमैन संतोष को दिया था। अ.सा. 03 भाना ने भी अपने कथन में बताया है कि उसके भाई को खेत में वॉकमैन मिला था। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी द्वारा विस्फोटक वॉकमैन/डायनामाइट रखकर मानव जीवन संकटापन्न किया गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 286 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा वॉकमैन के पुर्जे मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किए जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
व्य0 न्याया0 वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, चंदेरी

(जफर इकबाल)
व्य0 न्याया0 वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, चंदेरी